34

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1107-तीन/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2002 - पारित - व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 110/1997-98 अपील

महादेव प्रसाद पुत्र सूवालाल
(मृतक वारिस)
1- रामभोग 2- सत्यराम पुत्रगण महादेव प्रसाद
निवासी अटेर रोड पोरसा जिला मुरैना, म0प्र0 --आवेदकगण
विरूद्ध
म0प्र0शासन --अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 3-5 - 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 110/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2002 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पेश की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश इस प्रकार है कि पटवारी कस्वा पोरसा ने अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि महादेव प्रसाद पुत्र सूवालाल व्दारा भूमि सर्वे कृमांक 1459/1 के अंशभाग रकबे पर व्यपवर्तन कर भूमि व्यवसायिक प्रयोग में

लाई जा रही है। प्रतिवेदन पर से अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने भूमिस्वामी के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 256/ 1986-87 अ-2 पंजीबद्ध किया तथा जॉच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दि. 22-2-88 पारित करके भूमिस्वामी महादेव प्रसाद पुत्र सूवालाल पर रूपये 200/- अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये एंव आदेश का उल्लॅघन जारी रखने की दशा में 20 रूपये प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड बसूल किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 8/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-12-97 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22-2-88 निरस्त किया गया एंव प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 16-12-97 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 110/97-98 प्रस्तुत होन पर आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2002 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि पटवारी कस्वा पोरसा के प्रतिवेदन पर से महादेव प्रसाद पुत्र सूवालाल के विरूद्ध भूमि सर्वे क्रमांक 1459/1 के अंशभाग को बिना अनुमति के व्यपवर्तन कर भूमि व्यवसायिक प्रयोग में लाये जाने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के न्यायालय में

प्रकरण कमांक 256/1986-87 अ-2 पंजीबद्व हुआ एंव आदेश दिनांक 22-2-88 से महादेव प्रसाद पुत्र सूवालाल पर रूपये 200/- अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये एंव आदेश का उल्लॅघन जारी रखने की दशा में 20 रूपये प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड बसूल किये जाने के आदेश दिय गये हैं जिसके विरूद्ध अपील होने पर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 43/87-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-12-97 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22-2-88 निरस्त किया है एंव प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है और प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप जो तथ्य आवेदक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर बचाव प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भी वही उपचार प्राप्त है परन्तु आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष लेखी/मौखिक बचाव प्रस्तुत न करते हुये वर्ष 1997 से प्रकरण अपर आयुक्त के न्यायालय में एंव वर्ष 2002 से इस न्यायालय में जानबूझकर अवरूद्ध करवा रखा है, जबकि उसका कर्तव्य था कि स्वच्छ मन से न्याय पाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बचाव प्रस्तुत करता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 110/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी, 02 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर